अनुदान संख्या 54 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
GRANT No. 54–OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	999,03,00		1437,58,00	1516,97,23	+79,39,23
पूरक	Supplementary	438,55,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3,44,06
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			26,20,00	9,57	–26,10,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					25,93,43

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, यद्यपि अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में 43855.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया और 344.06 लाख रु. की राशि अभ्यर्पित की गई, तथापि व्यय स्वीकृत प्रावधान से 7939.23 लाख रु. (वास्तविक अधिक व्यय 79,39,22,929 रु. था।) अधिक हो गया। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अतिरिक्त मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित किया जाना अपेक्षित है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2235" - "Social Security and Welfare" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, although supplementary grants of Rs.43855.00 lakhs was obtained in October, 2008 and February, 2009 and an amount of Rs.344.06 lakhs was surrendered, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.7939.23 lakhs (actual excess was Rs.79,39,22,929). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services		2851.00	1904.83	–946.17
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	58717.00			
पू.	S.	4220.00	61711.00	74830.00	+13119.00
पु.	R.	–1226.00			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities				
मू.	O.	8671.00			
पू.	S.	151.00	6609.00	4864.49	–1744.51
पु.	R.	–2213.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	26919.00			
पू.	S.	39484.00	69425.00	67387.10	–2037.90
पु.	R.	3022.00			

(I) अधिक व्यय (4700.00 लाख रु.) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए हुआ जैसा कि मुख्य शीर्ष "2235" - "पुनर्वास - भारत-पाक युद्ध, 1971 से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और उनका पुनर्वास - पाक अधिकृत कश्मीर और छंब निआबत क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति" के अंतर्गत 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) The excess (Rs.4700.00 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs under Major Head "2235" - "Rehabilitation-Relief and Rehabilitation of Persons affected by Indo-Pak Conflict, 1971- Displaced Persons from Pak occupied Kashmir and Chhamb Niabat Area".

(II) मुख्य शीर्ष "2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम - केंद्रीय सरकार पेंशन'' के अंतर्गत 10972.97 लाख रु. का अधिक व्यय (3220.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 58220.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस तथ्य के कारण हुआ कि बैंक/खजाने स्वतंत्रता सेनानियों को हर माह नियमित रूप से अदायगी करते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं। हर माह संवितरित राशि की सूचना पेंशन नियंत्रक को भेजी जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत हुए व्यय पर इस मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं है। पेंशन नियंत्रक केवल हर माह संवितरित राशि की सूचना सरकार को भेजता है।

(III) मुख्य शीर्ष "3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - जम्मू तथा कश्मीर राहत और पुनर्वास'' के अंतर्गत 2999.13 लाख रु. का अधिक व्यय (7000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 18000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू तथा कश्मीर में विधानसभा चुनावों की वजह से सुरक्षा व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नानुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) 454.50 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 428.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2245'' - ''प्राकृतिक आपदाओं का सामान्य प्रबंधन - आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''आपदा प्रबंधन सहायता परियोजनाओं के लिए अमरीकी सहायता से धनराशि जारी/स्वीकृत किया जाना'' - 128.00 लाख रु.; और

(खा) ''आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास निधि से धनराशि जारी/स्वीकृत किया जाना'' - 300.00 लाख रु.।

(II) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Swatantrata Sainik Samman Pension Schemes - Central Government Pension" - excess of Rs.10972.97 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.58220.00 lakhs including supplementary grant of Rs.3220.00 lakhs) was due to the fact that Bank/Treasuries make payment every month to freedom fighters regularly and claim re-imbursement from Reserve Bank of India. Amount disbursed every month is reported to Controller of Pensions. The Ministry have no control over expenditure under this head. Controller of pension simply informs the Government of the amount disbursed every month.

(III) Under Major Head "3601"- "Non-plan Grants - Rehabilitation –Other Rehabilitation Schemes – Jammu & Kashmir Relief & Rehabilitation"- excess of Rs.2999.13 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.18000.00 lakhs including supplementary grant of Rs.7000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for security expenditure on assembly elections in J&K.

3. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Provision of Rs.454.50 lakhs remained wholly unutilized under nine heads; of these Rs.428.00 lakhs accounted for under Major Head "2245" – "General Management of Natural Disasters – Contingency Plans in disaster prone areas" – under the following heads:-

(A) "Release/Sanction from USAID for Disaster Management Support Project" – Rs.128.00 lakhs; and

(B) "Release/Sanction from UNDP for Disaster Risk Management Project" – Rs.300.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान भारत सरकार के अंश को जारी करने के लिए संबंधित अभिकरण से सत्यापित बिल लेखे प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of verified bills/accounts from concerned agency for release of share of the Government of India.

(II) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''प्राकृतिक आपदाओं का सामान्य प्रबंधन - आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजना - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' के अंतर्गत 7139.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 151.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7290.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 3319.88 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2245" – "General Management of Natural Disasters - Contingency Plans in disaster prone areas – National Disaster Management Authority" – the original provision of Rs.7139.00 lakhs was augmented to Rs.7290.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.151.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.3319.88 lakhs (including supplementary grant)- due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - आतंकवादी और सांप्रदायिक हिंसा पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्रीय स्कीम'' - 1000.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो स्कीम के आरंभ किए जाने में विलंब होने और देश में पीड़ितों की कम संख्या में पहचान होने के कारण 787.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(A) Major Head "2235"- "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programmes – Central Scheme for assistance to victims of terrorist and communal violence"- funds of Rs.1000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.787.00 lakhs – due to delay in start of the scheme and identification of less victims in the country.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - 1984 के दंगों में मृत्यु, चोट, सम्पत्ति को क्षति, बीमा न की गई वाणिज्यिक/औद्योगिक सम्पत्तियों को क्षति के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा'' - 100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3284.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3384.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण 209.06 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "3601" - "Non –Plan Grants - Other Social Security & Welfare Programme - Other Programme - Enhanced Compensation for death, injury, damage to properties, damage to uninsured Commercial/Industrial properties in 1984 riot" - the original provision of Rs.100.00 lakhs was augmented to Rs.3384.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3284.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.209.06 lakhs -due to receipt of less claims from State Governments.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय पहचान पत्र स्कीम'' के अंतर्गत 945.17 लाख रु. की बचत (1850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय पहचान पत्र के प्रारूप को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2070" – "Other Expenditure – National Identity Card Schemes" – saving of Rs.945.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1850.00 lakhs) was due to non-finalisation of the prototype of the national identity card.

(V) मुख्य शीर्ष "2235'' - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - स्वतंत्रता सेनानियों को निशुल्क: रेल पास'' के अंतर्गत 2999.97 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा नि:शुल्क रेल पास पर यात्रा किए जाने के लिए रेलवे बोर्ड से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Other Programmes – Free Railway Passes to Freedom Fighters" – saving of Rs.2999.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Railway Board for the journeys undertaken by Freedom Fighters on the Free Railway Passes.

(VI) मुख्य शीर्ष "2245'' - "प्राकृतिक आपदाओं का सामान्य प्रबंधन - आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजना - भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' के अंतर्गत 150.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2245" - "General Management of natural disasters - Contingency plans in disaster prone areas - National Programme for Capacity building for Earthquake Risk Management" – saving of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from various training institutes.

(VII) मुख्य शीर्ष "3601'' - "योजनेतर अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VII) Under Major Head-"3601"- "Non-Plan Grants"- savings occurred under the following heads:-

(का) "कारागार - अन्य अनुदान - कारागार प्रशासन का आधुनिकीकरण'' - 305.33 लाख रु. की बचत (6700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Jails – Other Grants – Modernisation of Prison Administration" – saving of Rs.305.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6700.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from certain State Governments.

(खा) "पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - मिजोरम'' - 839.20 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस समय त्रिपुरा में शिविरों में रहने वाले ब्रू शरणार्थियों द्वारा मिजोरम में अपने घर जाने के लिए मना किए जाने के कारण हुई।

(B) "Rehabilitation – Other Rehabilitation Schemes - Mizoram"- saving of Rs.839.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to refusal of Bru refugees presently residing in camps in Tripura to move their homes in Mizoram.

(गा) "पुनर्वास - पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति - पुनर्वास अनुदान'' - 509.64 लाख रु. की बचत (510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बंगलादेश से आये प्रवासियों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Rehabilitation – Displaced persons from former East Pakistan – Rehabilitation Grants" - saving of Rs.509.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.510.00 lakhs) was due to non-receipt of reimbursement claims from Government of West Bengal for rehabilitation of migrants from Bangladesh.

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत 59.92 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 54 प्रतिशत थी।

(VIII) Under one head saving of Rs.59.92 lakhs occurred constituting 54 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	2620.00	26.57	9.57	–17.00
पु.	R.	–2593.43			

(I) 1620.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1600.00 लाख रु. "प्राकृतिक आपदा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए -

(का) "आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना" - 600.00 लाख रु. राज्य सरकारों से आवश्यक उपस्करों को उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान" - 1000.00 लाख रु. भूमि की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) "प्राकृतिक आपदा - आपदा होने पर तीव्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए विशेषीकृत क्षमता का निर्माण" के अंतर्गत 990.43 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से आवश्यक उपस्करों को उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.1620.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.1600.00 lakhs accounted for under "Natural Calamities" – under the following heads:-

(A) "Disaster Management Support Project" – Rs.600.00 lakhs - due to non-receipt of concrete proposal from State Governments for providing necessary equipments.

(B) "National Institute of Disaster Management" - Rs.1000.00 lakhs – due to non-finalisation of the proposal for purchase of land.

(II) Under "Natural Calamities - Building up specialized capability for rapid intervention in case of disasters" - saving of Rs.990.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-receipt of concrete proposals from State Governments for providing necessary equipments.